

न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार

अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना-800015

दूरभाष सं०-0612-2215041, email -Courtscdbihar@gmail.com, website -www. scdisabilities.org

पत्रांक-1350/आठ नि०१०

दिनांक-19 अक्टूबर 2020

आदेश

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-82 के अन्तर्गत

वाद सं०-49/2019

सेवा में,

निबंधक,

जिला न्यायालय, बेगूसराय।

प्रकरण में :- श्री संतोष कुमार, दृष्टिबाधित दिव्यांग, पिता-श्री विष्णुदेव चौधरी, ग्राम-फतेहपुर, थाना-सिघौल, सदर प्रखण्ड बेगूसराय, जिला-बेगूसराय के जमीन का निःशुल्क नापी करवाकर सीमांकन करवाने के संबंध में प्राप्त परिवाद पत्र ।

बनाम :- (1) अंचलाधिकारी, सदर प्रखण्ड बेगूसराय, जिला-बेगूसराय, बिहार ।
(2) अनुमंडल पदाधिकारी, (सदर), बेगूसराय।
(3) थाना- थाना प्रभारी सिघौल, बेगूसराय।

महाशय,

वादी दिव्यांग हैं। वाद पत्र में वादी का कथन है कि उनके पड़ोसी दिव्यांगता का नजायज फायदा उठाकर उनकी जमीन को हड़पना चाहते हैं। वाद की प्रकृति को ध्यान में रखकर इसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-84 के अंतर्गत जिले में अधिसूचित न्यायालय को स्थानांतरित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्णित अधिनियम के अंतर्गत कनीयतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय, को दिव्यांगजन से संबंधित विषय के निष्पादन हेतु हेतु अधिसूचित किया गया है। कार्यालय को आदेश दिया जाता है कि संदर्भित वाद की मूल संचिका निबंधक, जिला न्यायालय, बेगूसराय को स्थानांतरित करें ताकि उनके द्वारा इस वाद की कनीयतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में उपस्थापित किया जा सके।

अतः अनुरोध है कि संदर्भित संचिका के निष्पादन हेतु कनीयतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय, बेगूसराय को पृष्ठांकित करना चाहेंगे।

अनुलग्नक-यथोक्त।



gent
16.10.20

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।